MAHILA VIDYALAYA DEGREE COLLEGE

Ganga Prasad Road, Aminabad, Lucknow-226018

Email: mahilapg@
www.mahilavidyal

दिनांक : 20.06.18

आवश्यक सूचना

शासनादेश सं0 1864/सत्तर–2–2013–16 (246)/2010 दिनांक 25.11.2013, शासनादेश सं0 272/सत्तर–2–2014–16 (246)/2010 टी0सी0 दिनांक 25.04.2014 एवं शासनादेश सं0 3/2018/69/सत्तर–1–2018–16 (58)/2017 दिनांक 18.01.2018 की व्यवस्थानुसार निर्गत दिशा निर्देशो के अनुक्रम में महिला विद्यालय डिग्री कालेज में रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से शैक्षणिक सत्र 2018–19 में अध्यापन कार्य लिये जाने के सम्बंध में आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। उक्त नियुक्तियां शासनादेश में उल्लिखित मानदेय व्यवस्था एवं शर्तो के अनुसार निम्न विषयों के लिये आवेदन पत्र के आधार पर की जायेगी। उक्तानुसार यह मानदेय, शिक्षको को प्राप्त हो रही/होने वाली उनकी पेन्शन के अतिरिक्त होगी, जिसकी दर शासनादेश द्वारा निश्चित है और इस पर कोई महगाई भत्ता अथवा कोई अन्य भत्ता देय नही है एवं आयु सीमा शासनादेश के अनुसार ही होगी।

वाणिज्य – (01 पद)

अंग्रेजी – (01 पद)

समाज शास्त्र – (01 पद)

शिक्षा शास्त्र – (01 पद)

हिन्दी – (02 पद)

मनोविज्ञान – (01 पद)

रसायन शास्त्र –(02 पद)

भौतिक शास्त्र – (01 पद)

जन्तु विज्ञान – (05 पद)

वनस्पति शास्त्र – (02 पद)

बी0 एड0 – (05 पद)

मानव शास्त्र – (01 पद)

संस्कृत – (03 पद)

एशियन कल्चर – (01 पद)

राजनीति शास्त्र – (01 पद)

पुरूष एवं महिला दोनो वर्ग के शिक्षक आवेदन कर सकते है। निर्धारित अर्हय औपचारिकताओं के साथ आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 07 जुलाई 2018 है।

...aj, ...ease upload ...the website
...r P6/18.

N Gupta 20-6-18.
(श्रीमती निशा गुप्ता)
कार्यकारी प्राचार्या
मो0 9839841116

Scanned by CamScanner

संख्या-3/2018/69/सत्तर-1-2018-16(58)/2017

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2018

विषय - सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1864/सत्तर-2-2013-16(246)/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-269/सत्तर-2-2014-16(246)/2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2014 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेशों में सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में नियोजन की प्रक्रिया, शर्तों तथा मानदेय का निर्धारण किया गया है।

2- सम्यक् विचारोपरान्त मानदेय पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के समय मिल रहे वेतन स्तर के अनुसार मानदेय की दरों में निम्नांकित विवरण के अनुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में मानदेय पर रखे जाने वाले शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय मिल रहे वेतन स्तर के अनुसार मानदेय की वर्तमान दरें निम्नवत होंगी:-

क्र0	पदनाम	पूर्व में निर्धारित मानदेय की दरें	वर्तमान मानदेय की दरें
(क)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्तर	रू0 20,000/प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 400/प्रति व्याख्यान की दर से	रू0 25,000/प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 500/प्रति व्याख्यान की दर से
(ख)	एसोसिएट प्रोफेसर स्तर	रू0 22,000/प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 500/प्रति व्याख्यान की दर से	रू0 30,000/प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 600/प्रति व्याख्यान की दर से
(ग)	प्रोफेसर स्तर	रू0 25,000/प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 600/प्रति व्याख्यान की दर से	रू0 35,000/प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 700/प्रति व्याख्यान की दर से

3- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-1864/सत्तर-2-2013-16(246)/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned by CamScanner